


24-11-21

पत्रावली पेश हुई। अर्जी व नकील अर्जी
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज दिलाई
गई कोई उपस्थित नहीं। इन्हें जाहर
होता है कि अर्जी व नकील अर्जी कपील
को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः कपील
कपीलान्त अफम हाजिरी एवं अफम पेंची
में टवाजि की जाती है। पत्रावली फैसल
अमाए होकर वाद तम्नील दाखिल अफतर
है।


जिला कलेक्टर
धानपुर राजो.